हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

मुकदमा नम्बर 58/17 रामस्वरूप

01/5/18 आज यह पंचायती राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प न्यायालय में पेश है। पक्षकारान आपस आपसे उनके द्वारा अवगत कराया कि आहिरान दल द्वारा समझाइश करने पर वे सहमति से कार्यवाही कराने को तैयार है। अतः आहिरान दल द्वारा सहमति के आधार पर कुरेमार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये है। जिन पर किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः इस अवधी मुताबिक कुरेमार प्रस्ताव डिक्री किया जाता आदेश हैं।

अतः आदेश है कि वादी मुताबिक कुरेमार प्रस्ताव इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादी रामस्वरूप पुत्र अमर सिंह जाति गुर्जर के हिस्से में ख.नं. 4302 रकबा 0-02 बीघा किस्म बा.भा. लगान 0.40/- व, एवं ख.नं. 4301/1 रकबा 0-11 बीघा (साझिल डिग्री) किस्म बाग लगान 2.20/- रु. स्थिर ग्राह दिखि रहेगी तथा भगवती प्रसाद पुत्र आजब सिंह जाति गुर्जर सा. दिल्ली के हिस्से में ख.नं. 4301/2 (मध्यमें) रकबा 0-13 बीघा किस्म बाग लगान 2.60/- रु. स्थिर ग्राह दिखि रहेगी तथा टीकम सिंह पुत्र आजब सिंह गुर्जर सा. दिल्ली के हिस्से में ख.नं. 4301/3 (पूर्व डिग्री) रकबा 0-13 बीघा किस्म बा.भा. लगान 2.60/- रु. स्थिर ग्राह दिखि रहेगी। उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम किये जावें। पूर्ण डिग्री दिनांक अनुसार स्थान पेश देने पर पारित हो। पंचायती कैम्प सुमार देकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुक्म सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

उपखण्ड अधिकारी